कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

पत्रांक 2281 / 14–9, दिनांक, अम्बेडकरनगर, मार्च 27 / 2018

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक
भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण ,
रायबरेली, 784 विष्णुनगर, सत्यम हास्पिटल के सामने, रायबरेली।

विषयः– जनपद अम्बेडकरनगर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–232 के बाईपास निर्माण में रेलपथ के किनारे एंव मार्गो के किनारे की प्रभावित 0.2652 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– विशेष सचिव, उ0प्र0शासन का पत्र संख्या पी–51 / 14–2–018–800(47) / 2018 दिनांक 22–03–2018 एंव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2749 / 11–सी–एफ.पी. / यू.पी. / रोड / 17505 / 2016 दिनांक 23–03–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जो आपको एंव इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण रायबरेली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–232 के बाईपास निर्माण में रेलपथ के किनारे एंव मार्गो के किनारे की प्रभावित 0.2652 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एंव उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की कतिपय शर्तो / प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः उक्त विषयक प्रकरण में संदर्भित पत्र के अनुपालन में बिन्दु संख्या–1 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से निम्न प्रकार आप द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है–

क0 सं0	धनराशि का मद	कुल क्षे0 हे0 में	दर प्रति हे0 रू0 में	कुल धनराशि रू0में	किसके पक्ष में धनराशि जमा किया जाना है	भुगतान का शहर
1	2	3	4	5	6	7
1	संरक्षित वन भूमि का नेट प्रेजेन्ट वैल्यू (एन0पी0वी0)	0.2652	626000 /	166015.00	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली
2	प्रभावित संरक्षित वन भूमि के दोगुने अवनत वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि	0.600	–	174200.00	**आनलाइन चालान के माध्यम से कैम्पा के खाता में कालम–5 में अंकित धनराशि जमा करें।**	नई दिल्ली

यह मूल्य अंतरिम है। शासन द्वारा अन्तिम दरें तय किए जाने पर अतिरिक्त धनराशि ई–पेमेन्ट पोर्टल के माध्यम से देय होगी। संदर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित शेष अन्य बिन्दुओं की अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0 2501 / 11–सी दिनांक 24–05–2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्धारित प्रारूप में बिन्दुवार भरकर (पत्र संलग्न है) एवं उपरोक्त धनराशि जमा किए जाने की पावती रसीद सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

<u>संलग्नकः उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय,
(गंगा प्रसाद) 27/3
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर

<u>पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि– निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) उ0प्र0, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
3– वन संरक्षक, सरयू वृत्त, उ0प्र0, फैजाबाद।

(गंगा प्रसाद)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अम्बेडकरनगर